माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निग/2728/I/15

अपील प्रकरण क्रमांक /2015 जिला जबलपुर

इंदु सिंह पिता श्री सुम्मेर सिंह उम्र 55 वर्ष
निवासी ग्राम सुंदरपुर तहसील पनागर
जिला जबलपुर म0प्र0

..... अपीलार्थी

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा आज दि. 21-8-15 को प्रस्तुत

21-8-15

विरूद्व

1. श्री घनश्याम यादव पिता श्री किशोरीलाल यादव उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम सुंदरपुर तहसील पनागर जिला जबलपुर
2. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला जबलपुर

.... प्रत्यर्थीगण

21/8/15

न्यायालय कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 224/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 27-7-15 के विरूद्व म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 44 के अधीन अपील ।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नाकिंत निवेदन है कि :-

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

2. यहकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम पौढ़ी प0ह0नं0 35 रा0नि0म0 पनागर जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं0 71/2, 71/1 एवं 70 रकबा क्रमशः 1. 21, 1.21 एवं 0.40 हैक्टर कुल रकबा 2.82 हैक्टर हैक्टर अपीलार्थी के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की है जिस पर अपीलार्थी का नाम भमिस्वामी के रूप में दर्ज है । अपीलार्थी खेती का कार्य करता है इस कारण उसनेअपनीअन्य कृषि भूमि को उन्नत एवं उपयोगी बनाने के उद्देश्य से उसके द्वारा भूमि के विक्रय का अनुबंध प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से किया गया और उक्त भूमि को विक्रय करनेकी अनुमति हेतु कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर विक्रय की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया ।

नि.स. 2728-A/15 [illegible]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अ... आदि के ह...
7-10-15	आवेदक अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। उन्होंने प्रकरण को जोर-दबाव में समाप्त किये जाने का निवेदन किया। विचारोपरान्त उनका निवेदन स्वीकार करते हुए प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (हस्ताक्षर) न्या.दं.	not P... [illegible] 7.10